24.11.16 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अस्वस्थ होने से
पेशी दि० 9.3.17 को पेश हो

9.3.17 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / अधिवक्ता अस्वस्थ के लिये मौका चाहते है अतः आगामी अवसर दिया जाकर दि० 4/5/17 को पेश हो

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनो पक्ष सहमत है, अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर दिया जाता है। पक्षकारान दिनांक 30/6/17 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

30/6/2017

यह आराजी 2544 2545 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन आराजी मे हमारे द्वारा कोई दखल अभी नहीं लिया जा रही एवम भविष्य मे भी कोई दखल नहीं लिया जायेगा। मेरी आराजी नम्बर 2545 की सिमा जानकारी करायी जाय तो हमे कोई आपत्ति नहीं

कालूलाल

Kailash

पक्षावली अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय अदालत द्वारा आमीयान गोगुन्दा में पेश हुई। पक्षी वादीगण स्वयं उपस्थित, सन्तोष लिखित दिया कि उनके द्वारा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जा रही है एवं भविष्य में भी दखलंदाजी नहीं की जायेगी। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर सर्वे सं. 2546 एवं मौजा गोगुन्दा की आ.नं. 2546 रकबा 0.0150 है. एवं 2544 रकबा 0.0425 है. किता 02 कुल रकबा 0.0625 है. भूमि में वादी के शांतिपूर्ण काबिज काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने व किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एतदनुसार डिक्री पत्र जारी किया जावें। पक्षावली निर्णीत होकर संख्या से दर्ज हो।

निर्णय सुनाया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर